

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 381/2004

चंद्र शेखर

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये गृह सचिव।
2. निदेशक, राजस्थान पुलिस दूरसंचार, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस दूरसंचार, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2004
आदेश की दिनांक :
उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारम्भ में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर हुई थी। अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजंदा जिला बूंदी में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर कार्यरत था, तब अपीलार्थी की पत्नी ने झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर संख्या 156/ 2018 पुलिस स्टेशन लाखेरी में धारा 498ए, 406 494 और 323 आईपीसी में क्रूरता से व्यवहार करने और अन्य महिला के साथ पुनर्विवाह करने के संबंध में दर्ज करायी थी। उक्त एफआईआर दर्ज में पुलिस ने अनुसंधान कर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 498ए, 406 और 494 आईपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया। (अनुलग्नक-2) मजिस्ट्रेट ने दिनांक 7.3.2019 के आदेश द्वारा अपीलार्थी पर धारा 498ए, 406 और 494 आईपीसी के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप निर्धारित किए हैं और रेणु को धारा 494 और 120बी आईपीसी के अंतर्गत अपराधों से उन्मोचित किया। (अनुलग्नक-3) अपीलार्थी ने आपराधिक पुनरीक्षण दायर करके पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आरोप आदेश को चुनौती दी है जो अभी भी लंबित है। (अनुलग्नक-4) उपरोक्त एफआईआर के पंजीकरण के आधार पर, संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगा और अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 2.8.2019 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि न तो उसने किसी अन्य महिला से पुनर्विवाह किया था और न ही नाता विवाह था, बल्कि उसकी

पत्नी ने उसके विरुद्ध झूठे और अनुमान के आधार पर, वैवाहिक अधिकारों का हनन न करके अपीलार्थी को परेशान करने के इरादे से उक्त एफआईआर दर्ज कराई थी। (अनुलग्नक-5) प्रत्यर्थी विभाग ने दो संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों कोटा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है और अपीलार्थी ने जाँच अधिकारी को स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध का मामला अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। अपीलार्थी ने अपने उत्तर के समर्थन में शपथपत्र और गवाह भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है अपीलार्थी की पत्नी जेवीवीएनएल में कार्यरत है और पिछले 3 वर्षों से अपने मायके में रह रही है तथा अपीलार्थी ने अभी भी किसी महिला से पुनर्विवाह नहीं किया है। (अनुलग्नक-6) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के उत्तर पर विचार किए बिना उसे दिनांक 3.9.2020 के आदेश द्वारा सेवा से निलंबित कर दिया। (अनुलग्नक-1) केवल इस आधार पर कि उसने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए पुनर्विवाह किया। अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही वापस लेने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 20.10.2020 को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है, साथ ही ग्राम पंचायत अजंदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र और अजंदा गाँव के दो व्यक्तियों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। उक्त प्रमाण पत्रों और शपथ पत्रों के अवलोकन से यह अभी भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला से पुनर्विवाह नहीं किया है, लेकिन प्रतिवादियों ने अभी तक अपीलार्थी के निलंबन आदेश को रद्द नहीं किया है। (अनुलग्नक-7) आपराधिक मामले में, जांच अधिकारी ने पहले ही अक्टूबर 2018 में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है और आपराधिक मुकदमा अभी भी लंबित है, अपीलार्थी को सीआरपीसी की धारा 494 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन प्रतिवादियों ने 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अपीलार्थी के निलंबन आदेश को रद्द नहीं किया है और अपीलार्थी अभी भी निलंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन के मामले में एसएलपी संख्या 31761/2013 में 16.2.2015 को निर्णय दिया था कि निलंबन आदेश की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद दिनांक 23.02.2015 को राज्य सरकार ने प्रत्येक 1 वर्ष के बाद निलंबन आदेशों को पुनर्जीवित करने के संबंध में उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में परिपत्र जारी किया है। माननीय न्यायालय ने मानवेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4276/2018) के मामले में 21.12.2018 को निर्णय दिया कि निलंबन को किसी व्यक्ति को दंडित करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने प्रकाश यादव बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यू रिट पिटिशन संख्या 8759/2014) में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2015 की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा पारित दिनांक 3.9.2020 के निलंबन आदेश को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में जारी मानते हुए सेवा में पुनः बहाल किया जावे।

प्रस्तुत अपील के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि श्री महावीर प्रसाद मीणा विभाग में दिनांक 20.07.2011 से वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर कार्यरत है। श्रीमती निर्मला मीणा पुत्री श्री रतिराम मीणा ने दिनांक 13.07.2019 को पत्र द्वारा अवगत कराया कि श्री महावीर मीणा के विरुद्ध एफ. आई. आर संख्या 0155 दिनांक 12.09.2018 में पुलिस थाना लाखेरी व मुकदमा संख्या-467/2018 दर्ज हो चुकी है। तथा मुकदमा माननीय न्यायालय लाखेरी में विचाराधीन है। श्री महावीर प्रसाद मीणा द्वारा अपने विरुद्ध दायर आपराधिक प्रकरण के संबंध में विभाग को अवगत नहीं कराया गया। श्री महावीर प्रसाद मीणा के विरुद्ध एफ. आई. आर संख्या 155/2018 में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498, 406, 494, 323 में प्रकरण दर्ज हुआ। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी जिला बूंदी ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या-467/2018 राज. राज्य बनाम महावीर मीणा व अन्य में दिनांक 07.03.2019 को आदेश पारित कर रेणु को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 494, 120बी भा.द.स. के आरोपो से उन्मोचित किया गया है एवं अभियुक्त महावीर के धारा 498 ए, 405, 494 भा.द.स. संहिता अन्तर्गत आरोप निर्धारित किए व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन समझ कर आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। श्री महावीर मीणा की निगरानी याचिका माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के समक्ष विचाराधीन है। श्रीमती निर्मला मीणा द्वारा दिनांक 13.07.2019 को प्रेषित पत्र द्वारा श्री महावीर मीणा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में एफ.आई.आर. संख्या-155 दिनांक 12.09.2018 दर्ज होने की सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की गई। श्रीमती निर्मला मीणा द्वारा श्री महावीर मीणा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक 23330 दिनांक 28.08.2019 एवं पत्रांक 34843 दिनांक 19.11.2019 द्वारा संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा संभाग, कोटा को प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कर विभाग को अवगत कराने हेतु लिखा गया। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कोटा संभाग, कोटा ने प्रकरण विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें श्री महावीर मीणा के विरुद्ध थाना देईखेडा में अपनी पत्नी से मारपीट करने, दहेज की मांग करने आदि कारणों से एफ.आई.आर. दर्ज हुई तथा उक्त प्रकरण में वाद सिविल न्यायालय लाखेरी एवं उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। जन प्रतिनिधियो श्रीमान सरपंच ग्राम विनायका तथा वार्ड पंच वार्ड न 006 विनायका द्रोपदी के आधार पर श्री महावीर मीणा का नाता विवाह श्रीमती रैना ग्राम विनायका के साथ दिनांक 18.06.2018 को

होना सत्य प्रमाणित किया है। पुलिस थाना लाखेरी जिला बूंदी द्वारा दिनांक 28.09.2018 को श्रीमती रैना बाई द्वारा पूछताछ नोट में भी स्वीकार किया है कि श्री महावीर मीणा व मैं दौनो लिव इन रिलेशन (नाता विवाह करके) साथ-साथ रह रहे है। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा संभाग, कोटा की जांच के उपरान्त श्री महावीर प्रसाद मीणा वरिष्ठ अध्यापक राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय-आजन्दा जिला बून्दी को एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव. अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2020 के द्वारा निलम्बित किया। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा सभाग कोटा रखा गया। श्री महावीर मीणा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों में वाद सिविल न्यायालय, लाखेरी एवं उच्च न्यायालय जयपुर में वर्तमान में विचाराधीन है। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कोटा संभाग, कोटा ने प्रकरण विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें श्री महावीर मीणा के विरुद्ध थाना देईखेडा में अपनी पत्नी से मारपीट करने, दहेज की मांग करने आदि कारणों से एफ.आई.आर. दर्ज हुई तथा उक्त प्रकरण में वाद सिविल न्यायालय लाखेरी एवं उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। अपीलार्थी श्री महावीर प्रसाद मीणा का विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2020 द्वारा अपीलार्थी के निलंबन किये जाने को प्रस्तुत अपील में चुनोती दी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अपीलार्थी का निलंबन कानूनन सही होने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.03.2024 प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश द्वारा समस्त परिलाभों सहित बहाल कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन हो चुकी है। उनके द्वारा आदेश दिनांक 1903.2024 की प्रति भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी है।

स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समस्त परिलाभों सहित आदेश दिनांक 1903.2024 द्वारा बहाल किया जा चुका है। अतः अपील अब सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य